

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:— 2559/ FP/UK/ROAD/49512/2020 देहरादून: दिनांक: 7 अप्रैल, 2021

सेवा में,

सचिव प्रभारी,  
वन अनुभाग-3,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:— जनपद—टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मूलगढ़ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 हे० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/49512/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 4.447 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, टहरी वन प्रभाग, नई टिहरी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 437 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 6/4/21

प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/49512/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद—टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली।

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)


परियोजना का नाम:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मूलगढ़ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/49512/2020)

जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मूलगढ़ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 4.174 है० आरक्षित वन भूमि तथा 0.273 है० सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 4.447 है० वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-टिहरी/प्रभागीय वनाधिकारी, टहरी वन प्रभाग, नई टिहरी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National Park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 437 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:  
हस्ताक्षर:



(डी०जे०के० शर्मा)  
प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सरकारी मोहर:

**D. J. K. SHARMA**  
Principal Chief Conservator  
of Forest Uttarakhand

तिथि : 06/04/2021

स्थान : देहरादून